ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या-28/2018

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊः जून 7, 2018

विषयः- विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग किये जाने के सन्दर्भ में मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P.) के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

संज्ञान में आया है कि प्रदेश अथवा प्रदेश से बाहर की शासकीय/अर्द्ध शासकीय, एन0जी0ओ0 तथा निजी संस्थाओं द्वारा सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों में नियुक्त अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है। जिसे पुलिस विभाग के विभिन्न इकाईयों के अधिकारियों द्वारा सीधे आमत्रण स्वीकार कर इन कार्यक्रमों में बिना इस मुख्यालय की अनुमति प्राप्त किये प्रतिभाग किया जाता है।

आप सहमत होंगें कि पुलिस विभाग एक अनुशासित बल है इस प्रकार के आयोजनों/सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपने उच्चाधिकारियों/मुख्यालय के अनुमति के बिना प्रतिभाग किया जाना कदापि उचित नही है। ऐसी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे आयोजनों/सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग किये जाने को लेकर प्रायः संशय/असमंजस की स्थिति बनी रहती है। ऐसे आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने के पूर्व निम्नाकिंत बिन्दुओ पर परीक्षणोंपरान्त ही सहमति प्रदान की जाये:-

- क्या इस प्रकार की प्राइवेट संस्थाओं को पूर्व में कभी Black Listed तो नही किया गया है? इस सम्बन्ध में अभिसूचना विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये।
- जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाना है उस प्रशिक्षण की पुलिस विभाग में क्या उपयोगिता होगी?
- क्या यह संस्था प्रशिक्षण सम्बन्धी विषय में सम्बन्धित विभाग से अनुमोदित है अथवा नहीं?
- क्या ऐसे आमत्रण पत्र को उचित माध्यम से प्रेषित किया गया है? सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ऐसे प्रशिक्षण में प्रतिभाग न किया जाये।
- क्या ऐसी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे आयोजन में पुलिस विभाग की गोपनीय सूचनायें तो साझा नही की जा रही हैं?
- यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसे प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों पर आने वाले व्ययभार का वहन किसके स्तर से किया जायेगा। व्यय किये जाने वाले धनराशि का श्रोत क्या है।
- ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित प्रतिभागी द्वारा प्रशिक्षण से वापस आने के उपरान्त प्रजेन्टेशन देकर प्रशिक्षण में प्राप्त की गयी जानकारियों को सभी के साथ साझा किया जाये।
- ऐसे प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी किसी भी दशा में सम्बन्धित संस्था से सीधे सम्पर्क नही करेगा। यदि आवश्यक हो तो मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के माध्यम से ही सम्पर्क किये जाने हेतु पत्राचार किया जायेगा। अनुमति प्राप्त होने की दशा में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर ऐसे संस्थाओं में प्रतिभाग किये जाने हेतु अपने उच्चाधिकारियो के माध्यम से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय को संस्तुति सहित पत्राचार किया जायेगा तदोपरान्त मुख्यालय स्तर से उपलब्ध करायी गयी अनुमति के आधार पर ही ऐसे संस्थाओं में आयोजित हो रहे सेमिनारों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया जायेगा।

मै अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी उपरोक्त बिन्दुओं को आत्मसात करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारी को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा देंगें ताकि अधिकारियों में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो और इन निर्देशों का भलीं-भाति अनुपालन करेंगें।

भवदीय,

7.6.18

(ओ0पी0 सिंह)

<u>निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषितः-</u>

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन/एसीओं/ई0ओ0डब्लू0/सीबीसीआईडी/एसआईटी/अभिसूचना/प्रशिक्षण/दूर संचार/तकनीकी सेवायें/फायर सर्विस/होमगार्ड उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था/कार्मिक/अपराध/प्रशासन/स्थापना/पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद/पीएसी/रेलवे/सुरक्षा/नियम एवं ग्रन्थ/विशेष जॉच/यातायात/लॉजिस्टिक/यू0पी0-100/महिला सम्मान प्रकोष्ठ/वूमेन पावर लाइन -1090 उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उ0प्र0।